संख्या-903/2018/67/22-2-2018-17(12)/2018

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महनिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 दिसम्बर, 2018***

विषय:- जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बृजेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार निवासी जनपद-पीलीभीत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-814/पर-7/सीमित सजा/ (एम-21.12.2017) दिनांक 08.01.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बृजेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार, जो- रूपपुर कमालू, थाना-सुनगढ़ी, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। दहेज में कार की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 09.05.2008 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती नीलू को मारपीट कर छत से फेंक दिया, जिससे उपचार के दौरान दिनांक 10.05.2008 को समय लगभग 07:15 पूर्वान्ह उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-388/08 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 एक्ट पीलीभीत के आदेश दिनांक 24.07.2012 द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.10.2017 तक 06 वर्ष 06 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 00 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिल प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बृजेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बृजेश कुमार (बन्दी संख्या-240/12) पुत्र श्री प्रेम कुमार निवासी जनपद-पीलीभीत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-903/2018/67(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, पीलीभीत।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-903/2018/67/22-2-2018-17(12)/2018

दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, पीलीभीत में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी बृजेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार, जो- रूपपुर कमालू, थाना-सुनगढ़ी, जनपद-पीलीभीत का रहने वाला है। दहेज में कार की मांग पूरी न होने के कारण बंदी ने दिनांक 09.05.2008 को 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपनी पत्नी श्रीमती नीलू को मारपीट कर छत से फेंक दिया, जिससे उपचार के दौरान दिनांक 10.05.2008 को समय लगभग 07:15 पूर्वान्ह उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-388/08 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 3/4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0 एक्ट पीलीभीत के आदेश दिनांक 24.07.2012 द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.10.2017 तक 06 वर्ष 06 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 00 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता जिल प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, पीलीभीत द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी बृजेश कुमार पुत्र श्री प्रेम कुमार को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in